संख्या- 66/2018/1214/71-1-2018-जी-592/2012

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 26 मार्च, 2018

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2017-18 में मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।**

महोदय,

राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनॉक 09-11-2013 में उक्त प्रायोजना की मूल लागत रू0 27442.00 लाख आंकलित की गयी थी। इसी मूल लागत के सापेक्ष शासनादेश संख्या-2386/71-1-2013-जी-592/2012, दिनॉक 13-12-2013 द्वारा प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। शासनादेश संख्या-1/2017/2107/71-1-2016-जी-592/2012, दिनॉक 04-01-2017 द्वारा प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 29305.00 लाख स्वीकृत की गई। पुन: शासनादेश संख्या-65/2018/1093/71-1-2018-जी-592/2012, दिनॉक 26-03-2018 द्वारा प्रश्नगत कार्य की पुनरीक्षित लागत रू0 रू0 27441.00 लाख स्वीकृत की गई। उक्त पुनरीक्षित लागत रू0 27441.00 लाख के सापेक्ष विभिन्न शासनादेशों द्वारा कुल 16879.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1.	2386/71-1-13-जी-592/2012, दिनॉक 13-01-2013	1500.00
2.	2484/71-1-14-जी-592/2012, दिनॉक 28-08-2014	6818.50
3	57/2822/71-1-14-जी-592/2012, दिनॉक 10-12-2014	1060.50
3	1/2017/2107/71-1-16-जी-592/2012, दिनॉक 04-01-2017	5000.00
4	65/2018/1093/71-1-18-जी-592/2012, दिनॉक 26-03-2018	2500.00
	योग-	16879.00

2- आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2017-18/3931, दिनॉक 22-03-2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त बाल रोग चिकित्सा संस्थान के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 12,72,60,000/- (रू0 बारह करोड़ बहत्तर लाख साठ हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष् प्रदान करते है:-

1- नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
2- प्रयोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जायेगा।
3- प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में प्रस्तावित प्रोपराइटरी प्रकृति संबंधी कार्यमदों यथा-लिफ्ट, डी0जी0 सेट, ट्रान्सफार्मर एवं विद्युत पैनल, मेडिकल गैस सिस्टम, यू0पी0एस0 सिस्टम, किचेन उपकरण एवं लाण्ड्री आदि की लागत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

कोटेशन/सी0पी0डब्ल्यू0डी0 दरों के आधार पर प्रस्तावित की गई है। इनके क्रियान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूँकि यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य है एवं इनके शिड्यूल ऑफ रेट्स उपलब्ध नहीं होते है। अत: निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जाय।

4- पुनरीक्षित प्रयोजना में प्रस्तावित विभिन्न कार्य मदों यथा-इम्पोर्टेड माड्यूलर ओ0टी0, इण्डियन एस0एस0ओ0टी0 मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम, लाण्ड्री उपकरण, सी0एस0एस0डी0 उपकरण, किचेन उपकरण, ओ0टी0 टेबिल सर्जरी, यू0पी0एस0 सिस्टम, ई0पी0बी0एक्स0 सिस्टम, डाटा, नेटवर्किंग एवं सर्जिकल वर्क स्टेशन तथा फर्नीचर आदि कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य, स्पेसीफिकेशन तथा लागत के संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जायेगी। यह समिति प्रयोजना में प्रस्तावित इन कार्यमदों की आवश्यकता, औचित्य, स्पेशीफिकेशन एवं लागत का परीक्षण करेगी। समिति द्वारा प्रयोजना में इन कार्यमदों हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत यथा- इम्पोर्टेड माड्यूलर ओ0टी0 हेतु रू0 397.91 लाख, इण्डियन एस0एस0ओ0टी0 हेतु रू0 145.89 लाख, मेडिकल गैस पाइप लाइन सिस्टम हेतु रू0 284.86 लाख, लाण्ड्री उपकरण हेतु रू0 181.23 लाख, सी0एस0एस0डी0 उपकरण हेतु रू0 162.03 लाख, किचेन उपकरण हेतु रू0 53.14 लाख, ओ0टी0 में सर्जरी टेबिल हेतु रू0 143.01 लाख, सर्जिकल वर्क स्टेशन हेतु रू0 108.00 लाख, यू0पी0एस0 सिस्टम व आपरेश थियेटर हेतु रू0 19.31 लाख, ई0पी0बी0एक्स0 सिस्टम हेतु रू0 26.69 लाख, डाटा नेटवर्किंग हेतु रू0 37.55 लाख एवं फर्नीचर हेतु रू0 1341.40 लाख की सीमा के अन्तर्गत, जो न्यूनतम लागत संस्तुत करेगी, प्रायोजना की संशोधित लागत हेतु प्रायोजना को पुन: व्यय वित्त समिति में लाने की आवश्यकता नहीं होगी।

5- पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव/आगणन में कराये गये कार्यो की लागत को प्रभाग द्वारा प्रायोजना का आंकलन लागत में यथावत् सम्मिलित करते हुए लागत को आकलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य /कार्यदायी संस्था का होगा।

6- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की मात्राओं को यथावत् मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/प्रधानाचार्य का होगा।

7- प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराया जाय।

8- प्रस्ताव का परीक्षण लागत आगणन में प्रस्तावित विशिष्टियॉ एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुए किया गया है, जिनमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियॉ इस्तेमाल करना इत्यादि, व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अन्यथा बाद में विचार नहीं किया जायेगा।

8- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक /प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

9- प्रयोजनान्तर्गत निर्माण कार्यो की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यो की प्रगति के सतत् अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति शासन को उपलब्ध कराई जाय।

10- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

11- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

12- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

13- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03 अगस्त, 2017 दिनॉक 20-03-2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

14- प्रायोजना को व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा एवं भविष्य में प्रायोजना का कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

15- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।

16- उच्च गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य कराए जाए। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/संबंधित कार्यदायी संस्था के महाप्रबन्धक एवं परियोजना प्रबन्धक की होगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-65-मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 500 शैयायुक्त वाले बाल रोग चिकित्सा संस्थान की स्थापना-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनॉक 03 अगस्त, 2017 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनॉक 22-07-2014 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव

संख्या:- 66/2018/1214(1)/71-1-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज गोरखपुर।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, गोरखपुर।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन अनुभाग-4/समाज कल्याण बजट प्रकोष्ठ।
8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(अनिल कुमार)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।